न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/176

गोविन्द राम आयु 47 वर्ष आत्मज फूलचन्द जाति गुर्जर निवासी देवपुरा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. सीताराम आयु 27 वर्ष पिसरान गोपाल जातियान गुर्जर निवासी देवपुरा तहसील व जिला बून्दी ।
2. दीनदयाल आयु 24 वर्ष पिसरान गोपाल जातियान गुर्जर निवासी देवपुरा तहसील व जिला बून्दी ।
3. गिरिराज (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   3/1. मनराज पत्नी स्व0 श्री गिरिराज जाति गुर्जर निवासी देवपुरा तहसील व जिला बून्दी ।
   3/2. गुनगुन पुत्री स्व0 गिरिराज जाति गुर्जर निवासी देवपुरा तहसील व जिला बून्दी
4. शिशुराम आयु 20 वर्ष पिसरान गोपाल जातियान गुर्जर निवासी देवपुरा तहसील व जिला बून्दी।
5. विजय आयु 25 वर्ष पिसरान गोपाल जातियान गुर्जर निवासी देवपुरा तहसील व जिला बून्दी ।
6. रामकेश आयु 29 वर्ष पिसरान फूलचन्द जातियान् गुर्जर निवासी देवपुरा तहसील व जिला बून्दी ।
7. लोकेश आयु 26 वर्ष पिसरान फूलचन्द जातियान् गुर्जर निवासी देवपुरा तहसील व जिला बून्दी ।
8. कौशल्या आयु 44 पुत्री फूलचन्द पत्नी नन्दा जातियान गुर्जर निवासी छत्रपुरा तहीसल व जिला बून्दी ।
9. सुशीला आयु 23 वर्ष पुत्री फूलचन्द पत्नी किशन निवासी तालेडा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
10. राधा बाई पुत्री सेवा जाति गुर्जर निवासी मीरागेट बून्दी तहसील व जिला बून्दी ।
11. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहीसलदार बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री प्रकाश चन्द भण्डारी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेश शर्मा, श्री देवराज गोचर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 4 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 14.12.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय 20.10.2020 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया । उक्त वाद के साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम देवपुरा तहसील एवं जिला बून्दी में खसरा नम्बर 634 रकबा 07 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 634/1292 रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 670 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 671 रकबा 02 बीघा, खसरा नम्बर 673 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 674 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 1133/1 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्क्बर 1120/1 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 1121 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा कुल 09 कुल रकबा 25 बीघा 12 विस्था भूमि स्थित है । सेवा जी के दो पुत्र गोपाल एवं रामधन तथा दो पुत्रियॉ मांगीबाई एक प्रार्थी की माता तथा दूसरी राधा बाई अप्रार्थी संख्या 10 जिनमें से मांगीबाई का देहान्त हो गया है और प्रार्थी मांगीबाई का पुत्र है तथा अप्रार्थी कम 5 लगायत 7 मांगीबाई के पुत्र तथा अप्रार्थी संख्या 8 लगायत 9 मांगीबाई की पुत्रियॉ हैं । प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 9 में परस्पर हितों में कोई विरोधाभास नहीं है, अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 9 दावा करने नहीं आने से उन्हें वाद व प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी बनाया गया है । वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 9 की माता मांगीबाई तथा अप्रार्थी संख्या 10 सेवा की दूसरी पुत्री राधाबाई का जन्म से स्वत्व निहित है । प्रार्थी की माता मांगीबाई एवं मांगीबाई की बहिन राधाबाई अप्रार्थी संख्या 10 की पैतृक सम्पत्ति है क्योंकि यह मांगीबाई, राधाबाई के पिता सेवा जी के समय की भूमि है । इस प्रकार वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की माता मांगीबाई के पिता सेवा जी की भूमि होने से इस भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थी कम 5 लगायत 9 का जन्म से ही स्वत्व निहित है । प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में सेवा जी का फौती नामान्तरकरण खोला गया उसमें सेवा जी के पुत्र गोपाल व रामधन का ही नाम अंकित किया गया जबकि उस समय सेवा जी की एक पुत्री मांगीबाई मौजूद थी जो प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 9 की माता है तथा सेवा जी की दूसरी पुत्री अप्रार्थी संख्या 10 राधाबाई थी । राधाबाई व मांगीबाई सेवा जी की पुत्रियॉ होने के बावजूद उनका फौती नामान्तरकरण में वैधानिक वारिस होते हुए भी इनका नाम अंकित नहीं किया गया इसलिए सेवा जी का फौती नामान्तरकरण संख्या 234 दिनांक 13.06.1982 अवैधानिक है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी कम 9 के कानूनी हकों के विरूद्ध प्रभावशून्य है । सेवा जी के पुत्र अर्थात् प्रार्थी की माता मांगीबाई के भाई रामधन ने प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि में से आधी भूमि का बेचान कर दिया था । वर्तमान जमाबन्दी में भूमि खसरा नम्बर 634 रकबा 07 बीघा 16 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 634/1292 रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 13 बीघा 9 बिस्वा भूमि वर्तमान जमाबन्दी में अंकित है जो ग्राम देवपुरा में स्थित है । यह भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 9 की पैतृक सम्पतित है जिसमें उनका जन्म से स्वत्व निहित है । यह

भूमि वर्तमान जमाबन्दी में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के खाते में गलत रूप से अंकित हो रही है यह भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 9 की पैतृक सम्पतित होने से इसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी कम 5 लगायत 9 की माता मांगीबाई का 1/3 हिस्सा निहित है । खसरा नम्बर 634 रकबा 07 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 634/1292 रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा कुल 13 बीघा 09 बिस्वा भूमि में मांगीबाई के 1/3 हिस्से के हकदार प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 9 संयुक्त रूप से है तथा इस भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज है । प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 8 में वर्णित भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण काश्त की सहूलियत की दृष्टि से अपने हिस्से की भूमि पर काश्त कर रहे हैं । यद्यपि उक्त आराजी का अभी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य बंटवारा नहीं हुआ है । अप्रार्थी कम 1 लगायत 4 वर्तमान जमाबन्दी में खाते में उनका नाम अंकित होने का अनुचित लाभ उठाने और चरण संख्या 8 में वर्णित 13 बीघा 09 बिस्वा भूमि को हस्तान्तरित करने, रहन, बय करने एवं उसमें प्रार्थी के संयुक्त कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं है । प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 8 में वर्णित भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थी कम 5 लगायत 9 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा घोषित करवाये तथा नामान्तकरण संख्या 234 दिनांक 13.06.1982 को प्रभावशून्य घोषित करवाये ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण कम 1 लगायत 4 के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण कम 1 लगायत 4 ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी को किसी व्यक्ति, संस्था के पक्ष में रहन, बेचान नहीं करे तथा प्रार्थी के हिस्से की भूमि में उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. परीक्षण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को प्रशासन गॉव के संग अभियान के तहत लोक अदालत कैम्प खैराबार में रखते हुए अपने आदेश दिनांक 10.11.2010 के द्वारा दोनों पक्षकारान को मूल वाद के निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया ।

5. अप्रार्थी कम 1, 2 व 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

6. परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 20.10.2020 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

7. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.10.2020 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण सन् 1982 को चैलेंज नहीं किया है । न्यायालय ने उक्त तथ्य बिना किसी जानकारी के स्वविवेक से ही अंकित किये हैं, जबकि इस बाबत् अप्रार्थी द्वारा भी कोई आक्षेप अपने जवाब में अंकित नहीं किया है । वास्तविकता यह है कि उक्त नामान्तरकरण संख्या 234 दिनांक 13.06.1982 जिला कलक्टर बून्दी के न्यायालय में लम्बित है । परीक्षण

न्यायालय में अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत् अपने कथन के समर्थन में अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा भूमि पर बिना किसी किस्म परिवर्तन किये गये प्लाट के बेचाननामे भी प्रस्तुत किये हैं जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्टगण लगातार भूमि की किस्म परिवर्तन कर वादग्रस्त आराजी का बेचान कर रहे हैं । इस तथ्य बाबत् परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में कहीं भी विवेचन नहीं किया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.10.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत हक घोषणा, बंटवारा भूमि एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के मूल खातेदार सेवा आत्मज भूरा गुर्जर थे । सेवा जी के दो पुत्र गोपाल, रामधन पुत्री रामधन बाई व राधाबाई हुई । मांगी बाई का देहान्त हो गया है । प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 5 लगायत 9 मांगीबाई के वारिसान हैं । उक्त सम्पत्ति पैतृक है, जिसमें प्रार्थी की माता का स्वतव जन्म से ही निहित है । सेवा जी के देहान्त के पश्चात् फोती इंतकाल में गोपाल और रामधन का नाम अंकित किया गया और मांगी बाई व राधा बाई का नाम रिकॉर्ड में अंकित नहीं किया गया । मांगीबाई के एक भाई रामधन ने उक्त सम्पत्ति में से आधी भूमि का बेचान कर दिया । शेष सम्पत्ति पर अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 4 का नाम गलत हो रहा है । उक्त आराजी पर मांगी बाई का हिस्सा 1/3 निहित है । मांगी बाई के देहान्त के बाद मांगीबाई के वारिसान के नाम राजस्व रिकॉर्ड में 1/3 हिस्से पर निहित किया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया किया जावे कि वे ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी का रहन, बेचान नहीं आदि नहीं करें परन्तु परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । परीक्षण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण सन् 1982 को चैलेंज नहीं किया है । न्यायालय ने उक्त तथ्य बिना किसी जानकारी के स्वविवेक से ही अंकित किये हैं, जबकि इस बाबत् अप्रार्थी द्वारा भी कोई आक्षेप अपने जवाब में अंकित नहीं किया है । वास्तविकता यह है कि उक्त नामान्तरकरण संख्या 234 दिनांक 13.06.1982 जिला कलक्टर बून्दी के न्यायालय में लम्बित है । परीक्षण न्यायालय में अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत् अपने कथन के समर्थन में अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा भूमि पर बिना किसी किस्म परिवर्तन किये गये प्लाट के बेचाननामे भी प्रस्तुत किये हैं जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्टगण लगातार भूमि की किस्म परिवर्तन कर वादग्रस्त आराजी का बेचान कर रहे हैं । इस तथ्य बाबत् परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में कहीं भी विवेचन नहीं किया है । परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा एक पुत्र के सम्बन्ध में ही वाद प्रस्तुत किया है जो कानून सम्मत नहीं है, जबकि इस तथ्य का आक्षेप प्रतिवादी अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में ही अंकन नहीं किया है और न ही किसी भी रूप से इस तथ्य पर आक्षेप किया गया है । इसके बावजूद परीक्षण न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार पर ही उक्त तक्य का अंकन अपने निर्णय में कर दिया गया है । अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी पर भूखण्डों का बेचान

कर भूमि को खुर्द–बुर्द किया जा रहा है जिसके दस्तावेज प्रार्थी द्वारा परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत किये हैं इसलिए बावजूद परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । घोषणा के वाद की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई समय–सीमा तय नहीं होती की हुई है । नामान्तरकरण एक फिसकल प्रक्रिया है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रश्नगत भूमि में मेरे अधिकार निहित हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं दिनांक 20.10.2020 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2017 (1) पेज 330–383, एआईआर 2005 (एससी) पेज 104, डीएनजे 2013 (1) पेज 170, डीएनजे 2008 (1) पेज 226, आरआरडी 2011 पेज 367, आरआरडी 2011 पेज 275, आरआरडी 1994 पेज 308 उद्वरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सेवा जी की भूमि थी । सेवा जी की मृत्यु के बाद फोती नामान्तरकरण खोला गया उस समय प्रार्थी अपीलान्ट ने उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध कोई आपत्ति नहीं की थी । उक्त नामान्तरकरण सेवा जी के दोनों पुत्रों के नाम खोला गया जिसमें उनके एक पुत्र द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्से का बेचान किया जा चुका है । प्रार्थी अपीलान्ट केवल एक पुत्र की भूमि के सम्बन्ध में ही वाद लेकर आया है जबकि प्रार्थी को सेवा जी की सम्पूर्ण भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत करना चाहिए था। सेवा जी की मृत्यु के बाद फोती इंतकाल सन् 1982 में खोला गया था उस पर प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई । पक्षकारान की माता मांगी बाई की मृत्यु वर्ष 2002 में हुई तब तक भी उनके द्वारा कभी भी वादग्रस्त आराजी को लेकर कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया गया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.10.2020 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में नकल जमाबन्दी संवत् 2071–74 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम देवपुरा की आराजी खसरा नम्बर 634 रकबा 07 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 634/1292 रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा कुल 13 बीघा 09 बिस्वा भूमि अप्रार्थी कम 1 लगायत 4 के खातेदारी में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2035 से 2038 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम देवपुरा की कुल 09 किता की रकबा 25 बीघा 17 बिस्वा भूमि सेवा पुत्र भूरा गुर्जर के खातेदारी में दर्ज है । नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2028 से 2047 संलग्न है । फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र श्रीमती मांगी बाई दिनांक 04.07.2002, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र श्रीमती बरजी बाई दिनांक 01.11.1985 संलग्न है । इसके अलावा फोटो प्रति नकल नामान्तरकरण 234 संलग्न है ।

12. प्रथमदृष्टया रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 4 विवादित भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार हैं । अपीलान्ट का किसी राजस्व रिकॉर्ड में कोई नाम अंकन नहीं है । अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करते समय कब्जा भी एक महत्वपूर्ण तथ्य होता है परन्तु स्वयं के कब्जे के सम्बन्ध में भी अपीलान्ट ने कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया । सन् 1982 से रिकॉर्ड में भूमि अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 4 एवं उनके पूर्वज के पक्ष में अंकित है । अतः प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्ट के पक्ष में प्रतीत नहीं

होता है । अपीलान्ट के स्वत्व हक का निर्धारण मूल वाद में होना है । विवादग्रस्त भूमि में से कुछ भूमि का विक्रय पत्र से बेचान भी हो चुका है । अपीलान्ट अपनी माता के विरासतन अधिकार होने के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है । अपीलान्ट की माता का भी निधन भी काफी समय पहले हो चुका है । ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन भी अपीलान्ट के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है । उपर्युक्त सम्पूर्ण परिस्थिति अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति वर्तमान में अपीलान्ट के पक्ष में प्रतीत नहीं होते हैं । अतः हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये विवेचन एवं निर्णय से सहमत हैं ।

13. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.10.2020 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 14.12.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा